कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/08/2026

मनोहर लाल तिवारी पुत्र स्व0 श्री कैलावक्श, उम्र 80 साल ग्राम/पोस्ट विडयारी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राज0 पिन कोड 321401

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.02.2026**

अपीलार्थी श्री मनोहर लाल तिवारी पुत्र स्व0 श्री कैलावक्श, उम्र 80 साल ग्राम/पोस्ट विडयारी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2026/93 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना का जबाब पत्रांक एल.आर./26/474 दिनांक 25.02.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना ने अपने जबाब में अंकित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना, उपखण्डाधिकारी

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 08 / 2026
मनोहर लाल तिवारी बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार बयाना

कार्यालय बयाना से सम्बन्धित होने के कारण उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक सू.अधि./25/109 दिनांक 07.01.2026 से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त रिकॉर्ड दिनांक 30.05.2007 को बयाना में हुये गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जलकर नष्ट होना अंकित किया है। इस कारण सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना एवं उपखण्डाधिकारी बयाना के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी ने वॉछित रिकॉर्ड दिनांक 30.05.2007 को बयाना में हुये गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जलकर नष्ट हो जाने के कारण सूचना दिया जाने से इन्कार किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वॉछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को नहीं दी जा सकी है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना/उपखण्डाधिकारी बयाना को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर